

न्यायालय सहायक कलेक्टर जयपुर शहर द्वितीय, जयपुर
पीठासीन अधिकारी - श्री विष्णु कुमार गोयल-। (आर.ए.एस.)

मुकदमा नम्बर : राजस्व वाद संख्या/43/2016

राजेन्द्र यादव पुत्र श्री घीसाराम यादव जाति यादव उम्र 45 वर्ष निवासी
ग्राम ज्ञानकीनाथपुरा तहसील फागी जिला जयपुर।

-वादी

बनाम

1. करण सिंह शेखावत पुत्र श्री जगदीश सिंह शेखावत जाति राजपूत निवासी
ए-54 विवेकानन्द कॉलोनी, अम्बाडी जयपुर।
2. श्रीमती मंजू देवी पत्नी श्री मुरारी लाल छीपा निवासी छीपो का मौहल्ला,
ग्राम बगरू तहसील सांगानेर जिला जयपुर।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील सांगानेर जयपुर।
4. राजस्थान सरकार जरिये उप तहसीलदार/उप पंजीयक, उप तहसील
बगरू।

-प्रतिवादीगण

वाद बाबत बंटवारा व स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी
अधिनियम 1955 एवं अन्तर्गत धारा 111 व
128 भू-राजस्व अधिनियम



निर्णय

दिनांक : 07.07.2023

वादी की ओर से दावा बाबत तकासमा व स्थायी निषेधाज्ञा का पेश किया गया।
प्रस्तुत वाद में दिनांक 09.10.2017 को प्राथमिक डिक्री जारी की जाकर
तहसीलदार सांगानेर से कुर्रैजात रिपोर्ट चाही गई। तहसीलदार सांगानेर द्वारा
अपने पत्र क्रमांक 7642 दिनांक 07.09.2022 को कुर्रैजात रिपोर्ट प्रेषित की गई
जो निम्नानुसार है :-

विभाजन प्रस्ताव :-

क्र.सं.	खातेदार	ख.नं.	रकबा	किस्म	लगान
1	राजेन्द्र यादव पुत्र घासीराम यादव जाति अहीर नि0 जानकीनाथपुरा तहसील फागी	5299 मि0	0.0925	बंजड 1	0.32

सहायक कलेक्टर
जयपुर शहर द्वितीय



	कुल योग	01	0.0925		0.32
2	गंजू देवी पत्नि मूरालीलाल छीपा निवासी बगरु	5299 मि०	0.1053	बंजड 1	0.37
	कुल योग	01	0.1053		0.37
3	करण सिंह पुत्र जगदीश राजपूत नि ए-54 विवेकानन्द कॉलोनी अम्बावाडी जयपुर	5299 मि०	0.1722	बंजड 1	0.61
	कुल योग	01	0.1722		0.61

प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट वास्ते आपत्ति नियत की गई। बहस आपत्ति कुर्रेजात रिपोर्ट पर वकील वादी एकपक्षीय बहस सुनी गई। वकील वादी ने प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट स्वीकार कर वाद को अन्तिम डिक्री करने हेतु निवेदन किया।

बहस वकील वादी एकपक्षीय सुनी जाकर कुर्रेजात रिपोर्ट का मय पत्रावली अवलोकन किया गया। अतः तहसीलदार सांगानेर द्वारा प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट को स्वीकार किया जाकर वादी का वाद अन्तिम डिक्री किया जाता है तहसीलदार सांगानेर को निर्देशित किया जाता है कि मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट वादी व प्रतिवादीगण का नाम राजस्व रिकॉर्ड में अमल-दरामद करें। कुर्रेजात रिपोर्ट इस निर्णय का अभिन्न अंग रहेगा। इस आशय की अन्तिम डिक्री जारी हो।

पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर दर्ज नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 07.07.2023 को सरे इजलास सुनाया गया।



सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

अन्तिम डिक्री मुकद्दमा इब्तादाई

(ओ. 20 रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)

आज अदालत सहायक कलक्टर जयपुर शहर (द्वितीय) मुकाम जयपुर व
इजलास श्री विष्णु कुमार गोयल-। (आर.ए.एस.)
बनाम करण सिंह शेखावत वगै.
राजेन्द्र यादव वाद बाबत् बंटवारा व स्थाई निषेधाज्ञा

अन्तर्गत धारा 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी

अधिनियम 1955 एवं अन्तर्गत धारा 111 व

128 भू-राजस्व अधिनियम

मुकद्दमा नम्बर - दावा/43/2016

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू श्री विष्णु कुमार गोयल-। व हाजिरी वकील
वादी मिनजानिब मुद्दई रूबरू मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व
डिक्री दी जाती है कि

तहसीलदार सांगानेर द्वारा प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट को स्वीकार किया जाकर वादी
का वाद अन्तिम डिक्री किया जाता है तहसीलदार सांगानेर को निर्देशित किया
जाता है कि मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट वादी व प्रतिवादीगण का नाम राजस्व
रिकॉर्ड में अमल-दरामद करें। कुर्रेजात रिपोर्ट इस निर्णय का अभिन्न अंग
रहेगा। इस आशय की डिक्री जारी की जाती है।

निज मुबलिंग बाबत्
..... खर्चा इस मुकद्दमें में मय सूद बशरह फीसदी
सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक का
अदा करें।

बसब मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 07.07.2023 को जारी की गई।

मुहर



दस्तखत
ओहदा जयपुर शहर द्वितीय

मुद्दई	रूपये	पैसे	मुद्दायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी		00	स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प अर्जी		00	स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वकालतनामा			महन्ताना वकील		
स्टाम्प वजह सबूत			खर्चा गवाहान		
महन्ताना वकील			फीस कमिश्नर		
खर्चा गवाहान			बाबत् इजराय		
फीस कमिश्नर			हुक्मनामा		
बाबत् इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक					
मीजान		00	मीजान		

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय